



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1995/वैशाख 8, 1917
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1995/VAISAKHA 8, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधिसूचना
नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1995

सा.का.नि. 370 (अ).—केंद्रीय सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पृष्ठ सं. 535 पर सा.का.नि. 121 के अर्पण दिनांक 11 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (i) में प्रकाशित चलचित्र (प्रमाणित) (संशोधन) नियम, 1995 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. 802/8/94-एफ. (सो.)]

शरवरी गोखले, संयुक्त सचिव

वाद टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के प्रसाधारण राजपत्र भाग II, खंड (i) में दिनांक 9-5-83 के सा.का.नि. (इ.) के तहत प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:—

- (1) सा.का.नि. 83 (इ.) दिनांक 28-2-84
- (2) सा.का.नि. 413 (इ.) दिनांक 29-5-84

- (3) सा.का.नि. 811 (इ) दिनांक 13-12-84
- (4) सा.का.नि. 772 दिनांक 21-10-89
- (5) सा.का.नि. 702 (इ) दिनांक 27-11-91
- (6) सा.का.नि. 67 (इ.) दिनांक 30-1-92
- (7) सा.का.नि. (इ) दिनांक
- (8) सा.का.नि. 603 (इ.) दिनांक 30-8-94
- (9) सा.का.नि. 816 (इ) दिनांक 16-11-94
- (10) सा.का.नि. 816 (इ.) दिनांक 16-11-94
- (11) सा.का.नि. 121 दिनांक 11-3-95

**MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 1995

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby rescinds the Cinematograph (Certification) (Amendment) Rules 1995, published in the Part II Section 3(i) of the Gazette of India at page 535 dated 11th March 1995 under G.S.R. 121 with immediate effect.

[File No. 802/8/94-F(C)]

SHARWAREE GOKHALE, Jt. Secy.

Footnote :—The principal rules were published, vide No. G.S.R. 381(E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3(i) and amended by :

- (i) GSR 83(E) dated 28-2-84;
- (ii) GSR 413(E) dated 29-5-84;
- (iii) GSR 814(E) dated 13-12-84;
- (iv) GSR 772 dated 21-10-89;
- (v) GSR 702(E) dated 27-11-91;
- (vi) GSR 67(E) dated 30-1-92;
- (vii) GSR (E) dated
- (viii) GSR 603(E) dated 30-8-94;
- (ix) GSR 816(E) dated 16-11-94;
- (x) GSR 816(E) dated 16-11-94;
- (xi) GSR 121 dated 11-3-95.